# समाहरणालय, बक्सर

## (आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 04-30 ग०/आ०
दिनांक 27/03/2020
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर।
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/डुमरॉव
उत्पाद अधीक्षक, बक्सर।
जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर।
जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला बक्सर।
सभी अचंलाधिकारी, जिला बक्सर।
सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर।
सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर।

विषय :– **कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्यान रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु Bihar Essential Article (Display of Prices and Stock) order, 1977. (Re-published in 1986) के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंग :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1257/खाद्य दिनांक 21.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महमारी को ध्यान रखते हुए जनता की हित में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की निगरानी एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 955 के अधीन धारा–02ए0 के अन्तर्गत शामिल किये गये आवश्यक वस्तुओं में FoodStuffs, including edible oilseeds and oils तथा Petroleum and Petroleum Products के संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। धारा–03 के अन्तर्गत खाद्यान्न, दालें, तिलहन एवं खाद्य तेल, चीनी को वर्ष 2002 के बाद से छः माह से एक वर्ष के लिए समय–समय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति की अपेक्षा रखने/नही रखने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में ''बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984'' के अन्तर्गत अनुज्ञापन का प्रावधान लागू किया जाता रहा है। **इस संबंध में "Bihar Essential Article (Display of Prices and Stock) order, 1977. (Re-published in 1986)" का प्रावधान निर्गत है। इस आदेश के अनुसूची–01 में वर्णित वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों द्वारा मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन किया जाना है।**

**उल्लेखनीय है कि इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–07 अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने का प्रावधान है।**

1. जिला में स्थानीय थोक विक्रेताओं/व्यापारी संघ के पदाधिकारियों, ई0–कॉमर्स के प्रतिनिधि, ऑनलाईन डिलेवरी करने वाले कम्पनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर खाद्यान्न, खाद्य तेल, दाल, चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। ई0–कामर्स के माध्यम से ऑनलाईन आर्डर के उपरान्त डिलेवरी करने वाले कर्मचारियों को भी आवश्यक वस्तु/अन्य सामान डिलेवरी करने के पूर्व Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखने हेतु आवश्यक निदेश दिया जाता है।
2. आवश्यक वस्तुओं यथा– गेहूँ और गेहूँ उत्पाद, चावल, चना, आटा (गेहूँ, चावल एवं चना का) मकई दलहन, दाल, नमक, गुड़, चीनी सभी प्रकार के खाद्य तेल एवं वनस्पति बेबी फुड, सोडा ऐश आदि के थोक/खुदरा विक्रेताओं द्वारा भण्डार में उपलब्धता (खुदरा विक्रेताओं के लिए 'हॉ' या 'नही' में) तथा इसके मूल्य का प्रदर्शन किया जाना है ताकि जनता को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी होने के साथ–साथ मूल्य की भी जानकारी हो।
3. भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में 25 आवश्यक वस्तुओं (चावल, गेहूँ, गेहूँ का आटा, चना दाल, तुर/अरहर दाल, उड़द दाल, मुंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, ग्राउंड नट ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सूर्यमुखी तेल, पाम ऑयल, गुड़, चाय, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, मास्क, सेनेटाइजर एवं हैंडवाश) का दैनिक बाजार भाव के मूल्य का अनुश्रवण करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।
4. जिला में एल0पी0जी0/पेट्रोल/डीजल को निर्धारित दर एवं मात्रा में उप्लब्ध कराने हेतु जिला के आई0ओ0सी0एल0, एच0पी0सी0एल0 एवं बी0पी0सी0एल0 के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं के घर में ले जाने के पूर्व डिलेवरी ब्यॉय एवं उनके वाहन को Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखते हुए उपभोक्ताओं को दिया जाय।
5. पेट्रोल पम्पों पर भी Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखने हेतु आवश्यक निदेश दिये जाये। पेट्रोल पम्प पर आने वाले उपभोक्ताओं तथा नोट लेने वाले कर्मचारियों को भी हैंड सेनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करने हेतु निदेश दिया जाय।
6. केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 अधिसूचित किया गया है जिसमें "मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर"को जोड़ा गया है। इस संबंध में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण लॉजिस्टिक (कोविड 19 प्रबंधक के लिए) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्यान रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु Bihar Essential Article (Display of Prices and Stock) order, 1977. (Re-published in 1986) के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई किया जाय तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

अतः इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्यान रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु Bihar Essential Article (Display of Prices and Stock) order, 1977. (Re-published in 1986) के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई किया जाय तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-30 मू0 / आ0 दिनांक 27/03/2020

प्रतिलिपि :– चेम्बर ऑफ कॉमर्श, बक्सर / फेयर पाईस डीलर्स एसोशिएसन, बक्सर / बक्सर व्यवसायी संघ / अन्य सभी थोक एवं खुदरा व्यवसायी संघ, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, रेडक्रॉस सोसाइटी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड पंचायतीराज पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अचंलाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर / जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर / जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर / अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/2020

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।